न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
31/2024	26/07/2024	30/1/26

1–हेमराज पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी ढीपरी काली सिन्ध तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2–जोधराज पुत्र हेमराज जाति मीणा निवासी ढीपरी काली सिन्ध तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1–अशोक पुत्र भैरू

2 ओमप्रकाश पुत्र भैरू

3–नाबालिग कोशल पुत्र भैरू संरक्षक ना.बा. की वली माता रामप्यारीबाई पत्नी भैरू

4– जगदीश पुत्र भैरू

5–धनराज पुत्र भैरू

6– नाबालिग हेमन्त पुत्र भैरू संरक्षक ना.बा. की वली माता रामप्यारीबाई पत्नी भैरू

7– रामप्यारीबाई पत्नी भैरू

जातियान भील निवासीगण ढीपरी काली सिन्ध तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड०।

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

प्रार्थना पत्र धारा 251 क आर.टी. एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के सयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाके माल ढीपरी काली सिन्ध की खाता संख्या 73 की खसरा नम्बर 222 दक्षिण रकबा 0.52 हैक्टर खसरा संख्या 223 रकबा 0.95 है. भूमि स्थित है। इस पर फसल काश्त करने में आने–जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी की सयुक्त खातेदार प्रार्थी क्रम नम्बर 2 की माता लटूरी बाई पत्नी हेमराज व प्रार्थी कम 2 की पत्नी लटूरीबाई थी, जिसकी मुत्यु दिनांक 08.05.2023 को हो चुकी है राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी कम 2 की माता का नाम दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी क्रम 2 का नाम दर्ज नही हुआ है प्रार्थी की माता मृतक लटूरीबाई का एक मात्र वारिस पुत्र प्रार्थी क्रम नम्बर 2 है। जिसे लटूरीबाई की सम्पति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कारण प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र में लटूरीबाई स्थान पर प्रार्थी क्रम नम्बर 2 पक्षकार बन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थीगण के खाते की आराजी वाके माल ढीपरी काली सिन्ध की खाता संख्या 7 में खसरा नम्बर 270/222 उत्तर रकबा 0.53 है. व खसरा नम्बर 271/223 उत्तर रकबा 0.94 है. स्थित है। पूर्व में प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज भूमि व अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज भूमि के खातेदार भैरू व चतुर्भूज पिसरान केसरीलाल जाति भील थें जो दोनो भाईयो के सयुक्त खाते में थी, जिसका खसरा नम्बर 222 व 223 था । चतुर्भुज भील द्वारा उसके हिस्से की 1/2 आराजी प्रार्थी क्रम 1 व उसकी पत्नी लटूरीबाई कों आज सें 10–15 पहले वर्ष विकय कर दी। तथा भैरूलाल की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज हो गई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारा हो गया था उससे पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी सयुक्त रूप से खसरा नम्बर 222 व 223 की थी, प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई व बंटवारे मे प्राप्त भूमि पर आने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 271/223 रकबा 0.94 हैक्टर के पूर्वी दिशा से सरकारी धौरे के लगवा सें ही रास्ता है जो रास्ता मुख्य सडक ढीपरी

सीसवाली लगभग 200 फुट दुर से मिलता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खाते की भूमि पर आने–जाने का कोई अन्य रास्ता नही है। क्योकि पूर्व में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि एक ही खसरा नम्बर की थी । दिनांक 30.06.2024 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि अप्रार्थीगण की खाते की भूमि खसरा नम्बर 271/223 से होकर सरकारी धौरे के लगवा पूर्वी दिशा सें प्रार्थीगण को नही निकलने देगे अभी तो प्रार्थीगण ने सोयाबीन की फसल कर ली है लेकिन सोयाबीन की फसल कि देखरेख करने अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर प्रार्थीगण को आने–जाने नहीं देगे कृषि उपकरण नही ले जाने देगे अप्रार्थीगण ,की भूमि में होकर प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं है इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि पूर्व में खेत एक ही था, चतुर्भूज भील अपने हिस्से की आराजी में जो उसके द्वारा प्रार्थीगण को विकय की है वह भी खसरा नम्बर 271/223 रकबा 0.94 हैक्टर की पूर्वी दिशा की भूमि सरकारी धौरे के लगवा से आता–जाता रहा है ओर खरीद की दिनांक से ही प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपनी कृषि भूमि पर आते जाते रहे है ओर कृषि कार्य करते रहे है। अप्रार्थीगण कों प्रार्थीगण का रास्ता रोकने का कोई अहिकार नही है। इस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने पर आमादा हुये प्रार्थीगण में अप्रार्थी क्रम 8 से भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण अवरूद्ध कर रहे है ओर प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा उनकी कृषि भूमि पर जाने का सडक से लगवा कोई अन्य रास्ता नहीं है जबकि सीसवाली–ढीपरी मुख्य सडक से प्रार्थीगण की कृषि भूमि लगभग 200 फीट दूर है इस पर अप्रार्थी क्रम 8 ने कहा कि अदालत में कार्यवाही करो अदालत रास्ता दिलवायेगी मैं कुछ नहीं कर सकता इस कारण प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र रास्ता दिये जाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण कों अपने खाते की भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 271/223 रकबा 0.94 हैक्टर पूर्वी दिशा सरकारी धौरे से लगवा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है रास्ता कायम नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वहीं से आने–जाने में बाधा पहुंचाते है इस कारण प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष वास्ते कायम किये जाने रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते के रूप में काम आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि के प्रतिकर को अदा करने के लिए तत्पर है जो भी रास्ते की भूमि की ऐवज मे प्रतिकर न्यायालय श्रीमान द्वारा अवधारित किया जावेगा उसें प्रार्थीगण बिना देरी के जमा कराने को तैयार है। अप्रार्थी क्रम 8 लेण्ड होल्डर जो आवश्यक पक्षकार है उसके विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई उसे न्यायालय के आदेश की पालना करनी है तथा राजस्व रिकोर्ड का संधारण अप्रार्थी क्रम 8 द्वारा ही किया जाता है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खाते की वाके माल ढीपरी काली सिन्ध की भूमि खसरा नम्बर 271/223 रकबा 0.94 हैक्टर ढीपरी – सीसवाली सडक से लगवा पूर्वी दिशा सरकारी धौरे से लगवा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने वाली भूमि का प्रतिकर प्रार्थीगण सें जमा करवाकर प्रार्थीगण कों भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता कायम कर उक्त रास्ते की भूमि को मुताबिक नक्शा ट्रैस मे व राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मुताबिक जवाब सरकार ग्राम डीपी कालीसिंध प0 म0 जलोदा खतियांन की आराजी खसरा नंबर 225/ 0.52, 223/ 0.95 कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 मुताबिक जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 73 वादी हेमराज पुत्र भैरूलाल वगै0 के खाते दर्ज रिकार्ड है जिस पर आने जाने हेतु वादी द्वारा रिकॉर्ड रास्ता चाहा गया है वादी के खाते दर्ज उक्त दोनों खसरा नंबर क्रमागत क्रम से लगवा है मुताबिक नजरी नक्शा वादी की आराजी खसरा नंबर 223 व डीपर कालीसिंध वाली मुख्य मार्ग के मध्य न्यूनतम दूरी पर खसरा नंबर 224/0.11 किस्म गैर0मु0 धोरा व प्रतिवादी अशोक वगै0 की कृषि आराजी खसरा नंबर 271/223 रकबा 0.94 हेक्टेयर स्थित है खसरा नंबर 244/0.11 किस्म गैर0 मु0 धोरा प्रतिवादी के खसरा नंबर 271/

223 रकबा 0.94 है0 के उत्तर वह पूर्व दिशा में स्थित है धोरे की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने के कारण निम्न नजरी नक्शानुसार प्रतिवादी के खसरा नंबर 271/223 रकबा 0.94 में पूर्व दिशा में धोरे समानांतर 5 मीटर चौड़ा वह 46 मीटर लंबा 230 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0230 हेक्टेयर का रास्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली गजना हेतु पेश हुई। पत्रावली की अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी जो 5 मीटर चौड़ा व 46 मीटर लंबा रास्ता कुल 0.230 हेक्टेयर का रास्ता दिया जाना उचित होगा। उक्त 0.230 हेक्टेयर में DLC रेट जो की उक्त ग्राम में 14,50,000 रुपए/हेक्टेयर है के अनुसार 14,50000/10000x230 =33,350 रुपए अक्षर तेतीस हजार तीन सो पचास रुपए बनते हैं अतः प्रतिकार के रूप में 33,350 का दुगना 66,700 रुपए अक्षरे छेयासठ हजार सात सौ रूपए देय है।

बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता कि खसरा नंबर 271/223 रकबा 0.94 में पूर्व दिशा में धोरे समानांतर 5 मीटर चौड़ा वह 46 मीटर लंबा 230 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0230 हेक्टेयर का रास्ता कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। यह अमल दरामद प्रार्थी द्वारा नियत राशि 66,700 रू के भुगतान उपरांत ही हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा